

ont>

Title: Regarding Election Commission's stricture on voting list, issued to the Government of Madhya Pradesh.

श्री शिवराज सिंह चौहान : अध्यक्ष महोदय, जो सवाल में सदन में उठा रहा हूँ वह देश और संविधान की पवित्रता की रक्षा से संबंधित है।

मैं किसी पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने के लिए यह विषय नहीं उठा रहा हूँ। यहां चन्द्रशेखर जी बैठे हैं। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please keep silence in the House.

(Interruptions)

*Not Recorded

श्री शिवराज सिंह चौहान : इस विषय पर संपूर्ण सदन गंभीरता से बहस करे, इस पर व्यापक बहस हो। मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में व्यापक पैमाने पर गड़बड़ियाँ की गई हैं। जब निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूचियों की जांच की तो यह पाया कि मध्य प्रदेश के 41 विधान सभा क्षेत्रों में से, किसी में 19000 और किसी में 23000 फर्जी मतदाताओं के नाम बढ़ा दिए गए हैं। जब इलैक्शन कमीशन ने पूरी जांच करवाई तो उसके बाद जब उन व्यापक गड़बड़ियों को पाया तो राज्य शासन को सिफारिश की कि वहां तीन कलेक्टर्स को सस्पेंड किया जाए। आधे दर्जन से ज्यादा अधिकारी थे, जिन्होंने मतदाता सूची में वहां की राज्य सरकार के इशारे पर व्यापक गड़बड़ियाँ की थीं। उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने का निर्देश यहां से निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश सरकार को दिया, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार को जो सिफारिशें चुनाव आयोग ने की, वे सिफारिशें करने के बाद भी मध्य प्रदेश की सरकार ने, वहां के मुख्य मंत्री ने आज तक कोई कार्यवाही नहीं की। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वे कोई कार्यवाही करने वाले नहीं हैं। (व्यवधान)

वे इसके लिए नोटिस देंगे, बातचीत करेंगे।

महोदय, मैं मानता हूँ कि मतदाता सूची लोकतंत्र का सबसे पवित्र दस्तावेज है। (व्यवधान) अगर मतदाता सूची सही नहीं बनेगी, (व्यवधान) इस सवाल पर 193 की चर्चा का हमने नोटिस भी दिया है और ध्यानार्काण की सूचना भी दी है। महोदय, इस विषय पर 193 के अंतर्गत व्यापक बहस और चर्चा करवाई जाए। धन्यवाद। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : किसी भी विषय पर चर्चा हो सकती है, लेकिन अगर आप को आपरेट करेंगे, तभी हो सकती है।

(व्यवधान)

SHRI SUNDER LAL TIWARI (REWA): Mr. Speaker, Sir, I want to make a submission on this subject.

...(Interruptions) महोदय, यह प्रदेश से संबंधित मामला है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय, मध्य प्रदेश सरकार पर लांछन लगाने की कोशिश की है। (व्यवधान) अभी चौहान साहब कह रहे थे कि इलैक्शन कमीशन ने मध्य प्रदेश सरकार को कुछ कर्मचारियों को सस्पेंड करने का कोई डायरेक्शन दिया है। मेरा यह कहना है कि संविधान में चुनाव आयोग को पूरी तरह सशक्त बना रखा है, हमारे संविधान के अनुच्छेद 324 में पूरी शक्तियाँ इलैक्शन कमीशन को प्राप्त हैं। (व्यवधान) अगर इलैक्शन कमीशन ने कोई पत्र लिखा है तो प्रदेश सरकार को उस पर निर्णय लेने का अधिकार है और वह उस प्रक्रिया में लगी हुई है। वहां के मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम इलैक्शन कमीशन से बात करेंगे। (व्यवधान) उसके बाद जो भी उचित कदम होगा, वह लिया जाएगा। (व्यवधान) महोदय, लोक सभा किसी भी कर्मचारी को सस्पेंड करने के संबंध में निर्णय नहीं ले सकती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : थावरचंद गेहलोत जी, अब आप बोलिए।

(व्यवधान)

श्री थावरचन्द गेहलोत (शाजापुर) : अध्यक्ष महोदय, हिन्दुस्तान में जो परम्पराएं हैं, उनके अंतर्गत निर्वाचन आयोग ने मध्य प्रदेश में मतदाता सूचियों में जो गड़बड़ियाँ पाई गई, उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए आदेश दिया तो राज्य सरकार के मुख्य मंत्री ने कह दिया कि यह आदेश अनुचित है, मैं इसे स्वीकार नहीं करता हूँ। यह संवैधानिक संकट खड़ा करने वाला काम है। (व्यवधान) प्रजातांत्रिक व्यवस्था, निर्वाचन पद्धति को बिलकुल नेस्तनाबूद करने वाला काम है। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: On this issue, I am prepared to allow a discussion under some notice, if the Business Advisory Committee agrees, and, therefore, this issue may be closed now.

...(Interruptions)

श्री थावरचन्द गेहलोत : मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री के खिलाफ कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान) या तो उन अधिकारियों को सस्पेंड करें या मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री को सस्पेंड करने की कार्यवाही की जानी चाहिए। (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Shri Chandra Shekhar wants to say something. Please take your seat.

...(Interruptions)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया, उ.प्र.) : अध्यक्ष महोदय, मुझे आपसे एक निवेदन करना है कि यहां रोज-रोज चर्चा होती है - कभी एक पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं और कभी दूसरे पक्ष के माननीय सदस्य बोलते हैं कि राज्यों के बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। रोज एक तरफ से या दूसरी तरफ से ये बातें उठाई जाती हैं और हम

उन्हें नियंत्रित नहीं कर पाते।

संविधान को खतरा केवल कुछ अधिकारियों के कर्तव्य से नहीं होता, हम लोगों के कर्तव्य से भी संविधान को खतरा पहुंचता है। आपकी आज्ञा को न मानना और सदन में बोलते रहना, यह संविधान के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक बात है। आचार-संहिता के बनने के बावजूद भी, जिसे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने, विरोध पक्ष के नेताओं ने, अध्यक्षों ने, सब ने स्वीकार किया, उसका नित्य यहां उल्लंघन होता है और एक दूसरे की आलोचना करने के लिए हम समय ढूंढते हैं।

मैं नहीं बोलता, लेकिन हमारे दोनों मित्र, जो अगली कतार में बैठे हैं, कह रहे हैं, उमा जी ने कहा, जिनकी मैं बड़ी इज्जत करता हूं कि इस मामले पर बोलिये। मैंने कल ही उनसे कहा था कि जब गुजरात में मैं नहीं बोला तो मध्य प्रदेश पर मुझे बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि इन सवालों पर बोलने से आपस में मतभेद बढ़ने के अलावा कुछ नहीं होगा।

चुनाव आयोग के द्वारा कोई गड़बड़ी हुई है या मुख्यमंत्री के द्वारा गड़बड़ी हुई है तो यह फोरम उसके लिए नहीं है। उसके लिए आयोग गृह मंत्री को लिख सकता है, लॉ मिनिस्टर को लिख सकता है और उस अधिकार का प्रयोग कर सकता है। यहां पर कोई प्रस्ताव पास करके न आप मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं, न यह सदन की अधिकार सीमा के अन्दर है।^(व्यवधान)

श्री कांतिलाल भूरिया (झाबुआ) : गुजरात के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाये।^(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अभी चन्द्रशेखर जी ने कहा कि अध्यक्ष के खड़े होने के बाद सदस्य को बैठना चाहिए, कम से कम इतना तो आप करें।

I totally endorse the views expressed by hon. Shri Chandra Shekhar. I would like every Member to observe discipline. I always presume that you are elected by lakhs of people of the country. When we come here, we must conduct the business of the House very nicely and in an orderly manner. Therefore, I would request all of you to allow others also to speak. For the information of Shri Chandra Shekhar, yesterday, this issue of whether the matters relating to States were to be discussed or not was taken up. It was decided that the matters relating to States should not be allowed to be discussed in the House.

Therefore, I would request all of you that let us meet together and have a decision. So far, the permissions were given for the State matters to be discussed. But let us not discuss the State matters. There are a number of national problems that we can discuss in the interest of the people. I hope that all people will cooperate on this issue.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Now, Shri Krishnadas, you can give your views.

...(Interruptions)

कुमारी उमा भारती : यह स्टेट मैटर नहीं है, यह स्टेट मैटर के बाहर की बात है।^(व्यवधान)

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (बालाघाट) : निर्वाचन आयोग की बात को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने नहीं माना।^(व्यवधान)

MR. SPEAKER: I have already permitted you.

...(Interruptions)

MR. SPEAKER: Whatever I have permitted you, that stands.